न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या –206/2024
GCMS No. –2024/685

1. गिरधारीलाल पुत्र अमरलाल जी जाति जाट निवासी कारुण्डा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. झुमा पत्नि अमरलाल जी जाति जाट निवासी कारुण्डा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०

– वादीगण

बनाम

1. रामेश्वरलाल पुत्र बद्रीलालजी जाति जाट आयु वयस्क निवासी कारुण्डा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. कमलाबाई पुत्री बद्रीलालजी जाति जाट आयु वयस्क निवासी कारुण्डा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. नोसरबाई पुत्री बद्रीलालजी जाति जाट आयु वयस्क निवासी कारुण्डा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
4. भुरीबाई पत्नि बद्रीलालजी जाति जाट आयु वयस्क निवासी कारुण्डा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
5. गोपीलाल दत्तक पुत्र हरिराम जाईन्दा पुत्र प्रताप जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी कारुण्डा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
6. उपपंजीयक निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
7. भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०

– प्रतिवादीगण

वाद तहत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– 1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता वादी
2– श्री योगेन्द्र सौलंकी – प्रतिवादी संख्या 1 से 5

:: निर्णय ::

दिनांक :– 13.01.2025

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वत्व, स्वामित्व, आधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक आराजियात वाके मौजा कारुण्डा प०ह० कारुण्डा तह० निम्बाहेडा की [illegible] आराजी नं0 76 रकबा 2.9600 हैक्टेयर स्थित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:41:32 IST
Reason: SelfAttested

2. वादग्रस्त पुश्तैनी पैतृक आराजियात वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व आधिपत्य की चली आ रही हैं वादग्रस्त आराजियात वादीगण के दादा

प्रताप पुत्र किशना जी जाट निवासी कारुण्डा के जमाने से चली आ रही है प्रताप जी के वैध उत्तराधिकारी तीन जाईन्दा पुत्र बद्रीलाल, अमरलाल व गोपीलाल हुवे, अमरलालजी का देहान्त हो गया है अमरलालजी के वारिसान वादीगण हैं. तथा बद्रीलाल जी का देहान्त हो गया है जिनके वारिसान प्रतिवादी नं0 1 से 4 हैं तथा प्रतिवादी नं० 5 गोपीलालजी को उनके जाईन्दा पिता प्रतापजी द्वारा उनके जीवन काल में अपने भाई हरिराम पिता किशनाजी के यहां गोद रख दिया था इसलिए प्रतापजी की सम्पत्ति में गोपीलाल का कोई हक हिस्सा व कब्जा किसी हैसियत से नही रहा था।

3. राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से प्रतिवादी नं० 5 का नाम जरिये विरासत सहवन से दर्ज हो गया है जबकि गोपीलालजी हरिरामजी के यहां गोदचले गये है और हरिरामजी की सम्पतित पर काबिज है और हरिराम जी की कृषि आराजियात गोपीलाल के नाम जरिये गोदी पुत्र दर्ज चली आ रही हैं वादीगण ने प्रतिवादीगणो को वादग्रस्त आराजियात मे वादीगण का 1/2 हक हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 से 4 का संयुक्त 1/2 हिस्सा, घौषित कराने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण टाल चाल कर रहे है और वादीगण के नाम घौषित कराने से इंकार हो गये हैं, तथा वादीगण व गांव के मौतबीर व्यक्तियों व रिश्तेदारो द्वारा प्रतिवादीगण को समझाने बुझाने पर भी प्रतिवादीगण किसी भी सुरत में मानने को तैयार नही है, इसलिए वादीगण वादग्रस्त आराजियात में वादीगण का 1/2 हक हिस्सा व प्रतिवादी नं० 1 से 4 का संयुक्त 1/2 हक हिस्सा घौषित कराने की अधिकारी हैं तथा प्रतिवादी नं0 5 का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित कराने की अधिकारीणी हैं।

4. वादग्रस्त पुश्तैनी पैतृक आराजियात वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 से 4 के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व आधिपत्य की चली आ रही हैं तथा वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी नं० 5 के हरिरामजी के यहां गोद चले जाने से प्रतिवादी नं0 5 का कोई हक हिस्सा व कब्जा नही रखा, वादग्रस्त आराजियात में राजस्व कर्मचारियो की गलती की वजह से प्रतिवादी नं0 5 का नाम सहवन से दर्ज हो जाने के कारण प्रतिवादी नं० 5 दिगर प्रतिवादीगणो से मिलकर वादीगण को उसके हक हिस्से व कब्जे की भूमि से जबरन महरूम करने की नियत से वादग्रस्त भूमि को हस्तांतरण रहन बय बक्शीश के माध्यम से खुर्द बुर्द हस्तांतरीत करने पर आमादा हो रही है, तथा राजस्व रेकार्ड मे परिवर्तन करने पर आमादा है तथा वादीगण को उसके हक हिस्से व कब्जे काश्त की आराजियात से जबरन बेदखल करने पर आमादा है, व मौके की स्थिति में भारी परिवर्तन करने पर आमादा हैं तथा प्रतिवादीगण वादीगण को वादग्रस्त आराजियात की हकाई जुता[illegible] बुवाई, फसल लाने ले जाने में जबरन बाधा पैदा कर रहे [illegible] के मौतबीर व्यक्तियों द्वारा प्रतिवादीगण को समझाने बु[illegible]गण किसी भी सुरत में मानने को तैयार नहीं है। इसलिए वादीगण प्रतिवादी[illegible] के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने की अधिकारी हैं।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:41:32 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी नम्बर 6 व 7 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 की और से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सौलंकी ने वकालतनामना मय ईकबाली जवाबदावा पेश किया। वकील उभयपक्ष ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण को गांव मौतबीर पंचो व रिश्तेदारो की समझाईष से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपस मे राजीनामा हो गया है और राजीनामा अनुसार वाके मौजा कारुण्डा प०ह० कारुण्डा तह० निम्बाहेडा की खाता संख्या 176 के आराजी नं0 76 रकबा 2.9600 हैक्टेयर, लगानी 56 रुपये 54 पैसा स्थित हैं। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की पुश्तैनीआराजियात हैं। प्रतिवादी नं० 5 गोपीलालजी को उनके जाईन्दा पिता प्रताप जी द्वारा उनके भाई हरिराम पिता किशनाजी के यहां गोद रख दिया था इसलिए प्रतापजी की सम्पत्ति में गोपीलाल का कोई हक हिस्सा व कब्जा किसी हैसियत से नही रहा था। इसलिए वादग्रस्त आराजियात मे वादीगण का 1/2 हक हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 से 4 का संयुक्त 1/2 हिस्सा, घौषित किया जावें तथा प्रतिवादी नं0 5 का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किया जावें।

6. बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई । मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। वादी व प्रतिवादी गण ने राजीनामा पेश किया जिसे तरदीक कर शामिल पत्रावली किया गया। वाद वादी राजीनामे अनुसार स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

घोषणा है कि

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है तथा वादीया का वाद राजीनामे अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेश दिया जाता है की वाके मौजा कारुण्डा प०ह० कारुण्डा तह० निम्बाहेडा के आराजी नं0 76 रकबा 2.9600 हैक्टेयर स्थित भूमि में प्रतिवादी नं0 5 गोपीलाल पुत्र प्रताप जाट के नाम दर्ज 1/3 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड से विलोपित किया जाकर वादीगण का 1/2 हक हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 से 4 का संयुक्त 1/2 हक हिस्सा खातेदारी घोषित किया जाता है।इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किए जाने एवं अमल दरामद किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। बैंक रहन बदस्तुर रखा जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को लिखाया ... खुले न्यायालय में सुनाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:41:32 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेडा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या –206/2024
GCMS No. –2024/685

1. गिरधारीलाल पुत्र अमरलाल जी जाति जाट निवासी कारुण्डा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. झुमा पत्नि अमरलाल जी जाति जाट निवासी कारुण्डा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०

– वादीगण

बनाम

1. रामेश्वरलाल पुत्र बद्रीलालजी जाति जाट आयु वयस्क निवासी कारुण्डा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. कमलाबाई पुत्री बद्रीलालजी जाति जाट आयु वयस्क निवासी कारुण्डा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. नोसरबाई पुत्री बद्रीलालजी जाति जाट आयु वयस्क निवासी कारुण्डा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
4. भुरीबाई पत्नि बद्रीलालजी जाति जाट आयु वयस्क निवासी कारुण्डा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
5. गोपीलाल दत्तक पुत्र हरिराम जाईन्दा पुत्र प्रताप जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी कारुण्डा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
6. उपपंजीयक निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
7. भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०

– प्रतिवादीगण

<u>वाद तहत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>:: निर्णय ::</u>

दिनांक :– 13.01.2025

प्रकरण आज दिनांक को वादी के अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वैष्णव एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सौलंकी की उपस्थिति में अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता कि वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के अभिलेख में स्वीकार किया जाता है तथा वादीया का वाद राजीनामे अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेश दिया जाता है की वाके मौजा कारुण्डा तह० निम्बाहेडा के आराजी नं0 76 रकबा 2.9600 हैक्टेयर स्थित भूमि में प्रतिवादी नं0 5 गोपीलाल पुत्र प्रताप जाट के नाम दर्ज 1/3 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड से विलोपित किया जाकर वादीगण का 1/2 हक हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 से 4 का संयुक्त 1/2 हक हिस्सा खातेदारी घोषित किया जाता है।इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किए जाने

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:41:32 IST
Reason: SelfAttested

एवं अमल दरामद किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। बैंक रहन बदस्तुर रखा जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज दिनांक 13.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:41:32 IST
Reason: SelfAttested